उत्तर प्रदेश शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्या–3113 / बयालिस–2010–29 निर्माण / 2009
लखनऊ : दिनांक : 04 ~~नवम्बर~~ 2010

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम–1894 (अधिनियम संख्या–1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात जिला कांशीराम नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु आवश्यकता है।

2–चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (1) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की जिला कांशीराम नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए आत्यधिक आवश्यकता है और इस आत्यधिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा–5– क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 5– क के उपबंध लागू नही होंगे।

अनूसूची

जनपद	परगना व तहसील	मौजा	गाटा संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
कांशीराम नगर	बिलराम	हनौता	250	1437	
	कासगंज		251	0.648	
			252	1.100	
			253	0.328	
			254	1.356	
			योग= 5 किता	4.869 हेक्टेयर	

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :– जिला कांशीराम नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद – कांशीराम नगर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भवदीय
29.9.10
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

.....2/–

संख्या–3113(1) /बयालिस–2010–29–निर्माण/20 09 तद्दिनांकः–

1– महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद लखनऊ।
3– आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
4– जिलाधिकारी कांशीराम नगर।
5– विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कांशीराम नगर ।
6– निदेशक, खेल उ0प्र0 लखनऊ।
7– राजस्व अनुभाग–13 ।
8– विधायी अनुभाग–1
9– जिला क्रीड़ाधिकारी, जनपद कांशीराम नगर।
10– निदेशक, राजकीय प्रेस ऐशबाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशन हेतु।

आज्ञा से,
28.9.10
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।